निर्णय ब इजलास विशाल राजन आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 11/2021 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर, ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1.महावीर प्रसाद पुत्र श्री धूडाराम जाति जाट, निवासी लक्ष्मणपुरा थाना खाटूश्याम जी, जिला सीकर।

2.प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रभू दयाल जाति जाट, निवासी डेहरावाली ढाणी, तन कल्याणपुरा, थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 415 लीटर डीजल पिकअप नम्बर आरजे–23 जीसी–0253 को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक प्रार्थी की ओर से।
2. श्री चन्दन सिंह व बलराज सिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सुश्री कीर्ति सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त सांभर लेक द्वारा दिनांक 26.06.2021 को ग्राम महेशवास की पहाडियों में केसरों के पास पिकअप नम्बर आरजे 23 जीसी 0253 के पास एक व्यक्ति खडा मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम महावीर प्रसाद मील पुत्र धूडाराम मील जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा थाना खाटूश्याम जी जिला सीकर का होना बताया । पिकअप की जांच करने पर कुल 415 लीटर डीजल पाया गया है। जिसके बारे में सक्षम अधिकारी का अनुज्ञापत्र एवं खरीद के बिल बाउचर मांगे जाने पर नही होना बताया। इससे मौके पर पाये गये डीजल व परिवहन किये जाने वाली पिकअप को मय डीजल जब्त किया गया है। जिसको धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह व बलराज सिंह चौधरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया और बहस करना चाहा ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि सुश्री कीर्ति सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त सांभर लेक द्वारा दिनांक 27.06.2021 को ग्राम महेशवास की पहाडियों में केशरों के पास पिकअप नम्बर आरजे 23 जीसी 0253 के पास एक व्यक्ति खडा मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम महावीर प्रसाद मील पुत्र धूडाराम मील जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा थाना खाटूश्याम जी जिला सीकर का होना बताया । अप्रार्थी ने बताया कि मैं इस बोलेरो पिकअप में अंकुश जैन के रिलाइन्स पैट्रोल पम्प बिचून से डीजल भरकर लाता हू तथा जगह जगह मशीनों, केशरों, एल एण्ड टी एवं जेसीबी मशीनों वालों को उनकी आवश्यकता अनुसार उनके कार्य स्थल पर जा कर बेचता हूँ। । लाईसेन्स के बारे में पूछने पर किसी प्रकार का लाईसेन्स नहीं होना बताया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ डीजल को कब्जे में रखना, भण्डारण करना व विक्रय करना 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा प्रदत्त मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की तारीफ में आने से बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 23 जीसी 0253 के उपर बने टैंक को चैक किया गया तो टैंक के पीछे एक बाक्स लगा हुआ है जो चाबी से खुलता है । टेंक के पीछे साईड मे चाबी से बाक्स को खोलने पर मिनी पैट्रोल पम्प की मशीन लगी हुई पाई गई है, जिसमें नोजल पाईप फिट है। जिस पर BTF BMO30 NON COMMERCIAL USE ONLY लिखा हुआ है। पिकअप की जांच करने पर टैंकर में कुल 415 लीटर डीजल पाया गया है। अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि वाहन में संबंधित विभाग की अनुमति व अल्ट्रेशन के बिना टैंकर व मिनी पैट्रोल पम्प स्थापित कर डीजल परिवहन एवं विक्रय करना पाया गया है। इस प्रकार उक्त शख्सों के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स के ज्वलनशील पदार्थ को अपने कब्जे में रखना व व्यापार करना जुर्म 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया गया। उक्त डीजल व उसके परिवहन करने मे प्रयुक्त किया जाने वाली पिकअप नम्बर आरजे 23 जीसी 0253 मय डीजल को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। अतः जब्त शुदा डीजल व पिकअप का धारा 6–ए के तहत राजसात (Confiscate) करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। एक समय मे एक व्यक्ति अधिकतम 2500 लीटर डीजल का परिवहन कर सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के पास मात्र 415 लीटर डीजल ही पाया गया है। अतः जब्त पिकअप व डीजल को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 26.06.2021 का भलीभांति अवलोकन एव अध्ययन किया गया ।

7. यह सही है कि बिना अनुज्ञापत्र के एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्य व कृषि कार्य आदि के उपयोग हेतु एक समय में अधिकतम 2500 लीटर तक पैट्रोलियम पदार्थ का क्रय विक्रय व परिवहन किया जा सकता है, परन्तु अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त पिकअप के उपर टैंक बनवा कर उसमें स्माल नोजल पम्प लगा पाया गया है जिससे प्रार्थीगण द्वारा जगह जगह मशीनों केशरो एलएन टी एवं जेसीबी मशीनों को डीजल का विक्रय किया जाता है। जो अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की अपराधिक मनः स्थिति को दर्शाता है। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी व्यक्ति द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का कारोबार नहीं किया जा

जिला कलक्टर
जयपुर

सकता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये सात मिनी पैट्रोल पम्प के रूप मे व्यापार किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से बगैर सक्षम स्वीकृति पिकअप मे परिवर्तन (Modify) भी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र पैट्रोलियम पदार्थ डीजल का व्यापार करना, अपने कब्जे मे रखना, भण्डारण करना व विक्रय करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व आवश्यक वस्तु अधिनियम व मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। अतः प्रकरण मे जब्त डीजल व पिकअप नम्बर आरजे 23 जीसी 0253 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा थानाधिकारी जोबनेर एव जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर